लिविंग द कॉन्स्टिटूशन

लेखक - अरुणा रॉय, बेजवाड़ा विल्सन, एवं
टी. एम. कृष्णा (मैगसेसे पुरस्कार विजेता)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

10 जनवरी, 2020

"इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि विरोध को शांत करने के लिए सरकार का निरंकुश कदम हाल के इतिहास में सबसे बड़ी जागृति का कारण बना।"

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, जिसे विश्वविद्यालयों के युवाओं द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करने की माँग करती है और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग द्वारा जानबूझकर विनाश और लोकतांत्रिक संरचनाओं के संदर्भ में किए जा रहे समझौते पर एक चुनौती पेश करती है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों पर निर्दयतापूर्ण हमलों के बावजूद छात्र अपनी बातों पर अडिग हैं और निडर होकर इस क्रूर हमले पर अपनी चुनौती पेश कर रहे है।

जीवन के हर क्षेत्रों के लोगों, जिन्होंने निरंतर अहिंसक विरोध में भाग लिया, ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। संवैधानिक मूल्यों पर खतरे का निर्धारित प्रतिरोध नयी उम्मीद जगाती है। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि विरोध को शांत करने के लिए सरकार का निरंकुश कदम हाल के इतिहास में सबसे बड़ी जागृति का कारण बना है और इसने बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है।

अम्बेडकर की सामाजिक समानता की विरासत और अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा के गांधीवादी मूल्यों को ध्वस्त करने की असामाजिक शक्तियों के सभी प्रयासों के बावजूद, हमारे युवाओं ने न्याय और संवैधानिक गारंटी को पुन:प्राप्त करने में जोश और संकल्प दिखाया है। पिछले छह वर्षों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा हिंसा के प्रचार-प्रसार द्वारा भारतीयों के एक बड़े वर्ग को चुप कराना रहा है। आज जो हम देख रहे हैं वह इसी डर के खत्म होने की शुरुआत है। जिस देश में हर तरह के संस्थान को खोखला किया जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन ऐसी घटनाएँ हैं, जो उस आशंका को खत्म कर देती हैं जो बदलाव की संभावना को बढ़ाती हैं।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

क्या है?

- एनपीआर का उद्देश्य देश में रह रहे हर नागरिक का ब्यौरा तैयार करना है।
- इसके अंतर्गत हर उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो पिछले छह महीने से किसी स्थानीय जगह पर रह रहा है या वह व्यक्ति जो उस इलाके में अगले छह महीने या उससे अधिक के लिए बसना चाहता है।
- एनपीआर के लिए 1 अप्रैल 2020 से जनगणना का काम शुरू होगा। टीमें असम को छोड़कर देशभर में घर-घर जाकर लोगों का डाटा एकत्रित करेंगी।
- भारत में बसे हर व्यक्ति के लिए एनपीआर में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। 17वीं लोकसभा की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था।
- एनपीआर देश में रहने वाले नागरिकों की एक विस्तृत सूची होगी। एनपीआर के पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पंजी (एनआरआईसी) तैयार करने के लिए इसके एक आधार बनने की उम्मीद है।

इन विरोधों के कारण आज भारतीय नागरिक वर्षों बाद अपनी चुप्पी तोड़ने में सफल हो पाए है। इन नौजवानों के असाधारण साहस को देखने और सराहने वाले लाखों लोग के भीतर व्याप्त भय धीर-धीरे खत्म होने लगी है। हालाँकि, इस तरह विरोध करने

का परिणाम काफी घातक भी सिद्ध होता, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक नुकसान और निर्दोष लोगों की मौत हमे देखने को मिली है। लेकिन अभी तक जानमाल की हानि भी इस विरोध को रोकने में नाकाम रही है।

हिंसा एक कायरता का कार्य है। इसके बार-बार उपयोग से पता चलता है कि एनआरसी और एनपीआर के संभावित विनाशकारी सामूहिक अभ्यास के साथ असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण सीएए का पारित होना कहीं से भी तार्किक नहीं है। धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव और अंतर करने का प्रयास कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध पर क्रूरता बरती जाने से कई बुनियादी सवाल उठते हैं। कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में हिंसा का उपयोग हमेशा अन्यायपूर्ण रहा है। हिंसा का एक अपना तर्क है और कार्रवाई और इस पर प्रतिक्रिया की श्रृंखला शासन व्यवस्था को कमजोर बनाती है। केवल एक कमजोर देश ही संघर्ष को हल करने के लिए हिंसा का समर्थन करता है।

भय के कारण भारतीय निष्क्रिय हो गए है, इन्हें पता है कि यह कानून और इसके समान ऐसे कई अधिनियम, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना शामिल है, सभी को एक असंवेदनशील, भेदभावपूर्ण तरीके, बहुरूपता का ध्रुवीकरण और अलगाव एवं नफरत के बीज बो कर से नियोजित और कार्यान्वित किया गया है।

सवाल पूछने और विरोध करने की परंपरा को समाप्त कर के, हम विकास के सभी आधार (राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक) को नष्ट कर रहे हैं। हम अपनी आर्थिक और विकास नीतियों में भारी गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था के भीतर किसी को भी इसके खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं दी गई है, विशेषरूप से विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

किसी भी समाज में विश्वविद्यालय सीखने और रचनात्मकता का केंद्र होता है। ये हमारे भविष्य के नैतिक लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करते हैं, आलोचनात्मक सोच की कठोरता के आधार पर, वे सत्ता से सच बोलने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सब कर के हम भारत के विचार को नष्ट नहीं कर रहे हैं? जिस संवैधानिक आधार पर हमने इस देश का निर्माण किया, जिस शांति के साथ हमने जीना सिखा और जिस तरह हमने विभिन्न संस्कृतियों के साथ सामंजस्य बैठाने में मेहनत की है, उन सब को आज जानबूझकर कुचल दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

क्या है?

- एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था।
- रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

सिर्फ असम में ही क्यों

- नागरिकता के पैमाने अन्य राज्यों की तुलना में असम में बिलकुल अलग हैं। ऐसा वहाँ के पलायन के इतिहास को देखते हुए है। ब्रिटिश शासन के दौरान असम को बंगाल प्रेसीडेंसी में शामिल कर लिया गया था।
- 1826 से 1947 तक ब्रिटिश अधिकारी चाय बागानों के लिए दूसरे प्रांतों से यहाँ सस्ते मजदूर लाते रहे। मगर आजादी के बाद यहाँ दो बार पलायन का बड़ा दौर आया।
- पहला, भारत तथा पाकिस्तान के बँटवारे के वक्त, पूर्वी पाकिस्तान से। दूसरा, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बनने के बाद।
- 1979 से 1985 के बीच इस माइग्रेशन का जमकर विरोध हुआ। इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने किया था।
- इसी वजह से 1985 में राजीव गांधी सरकार ने आसू और अन्य संगठनों के साथ असम अकॉर्ड समझौता किया।
- इसमें अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का प्रावधान था। इसके लिए नागरिकता अधिनियम में अनुछेद-6ए जोड़ा गया, जिसमें असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

अगर हम इसी रफ्तार के साथ इसी राह पर चलते रहे तो भविष्य का भारत कैसा होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते है। अपने युवाओं के साथ इतनी क्रूरता से पेश आना, क्या हमारे स्वतंत्रता के मूल भाव को नहीं झुठलाता? साफ शब्दों में

कहे तो हम उनके सपनों का गला घोंट रहे हैं। क्या ऐसी ही भारत की कल्पना हमने की थी?

हम सरकार को यह बताना जारी रखेंगे कि उनकी रणनीतियों का सामना अहिंसक प्रतिरोध के साथ किया जाएगा। 14 दिसंबर से होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि 'हम भारत के लोग' को भारत के विचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए किसी संख्या या धर्म या नागरिकता की स्थिति को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हमने 26 जनवरी, 1950 को खुद ही हासिल किया था।

इन विरोधों के मूल में एक संदेश यह भी छिपा है कि हम संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब जैसा कि गणतंत्र दिवस निकट आ गया है और हम संविधान का जश्न मनाने वाले हैं और राष्ट्रीय आंदोलन, अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करने वाले हैं, हम एक सच्चे 'राष्ट्रवादियों' के रूप में यह जोर देकर कहते हैं कि हम उन लोगो के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं और इस बार कोई भी हमारी आवाज को न तो चुप करा सकता है और न ही दबा सकता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

क्या है?

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) एक ऐसा बिल है जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदायों के अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है।
- इन 6 समुदायों ((हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, तथा पारसी) के अलावा इन देशों से आने वाले मुसलमानों को यह नागरिकता नहीं दी जाएगी और यही भारत में इसके विरोध की जड़ है।

विधेयक के प्रावधान

- इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों (जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों) को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के तहत् सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 में बदलाव का प्रस्ताव है।
- सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के मुताबिक, भारत में 11 वर्ष रहने के बाद ही यहाँ की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इस संशोधन बिल में गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए यह बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए यह समय की अवधि घटाकर 11 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई है।
- पूर्वोत्तर के संगठनों की चिंता को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव भी किए हैं। अब उन राज्यों में जहाँ इनर लाइन परमिट (ILP) लागू है उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) से छूट दी गई है। यही नहीं नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों के छह अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को भी इससे छूट हासिल होगी।
- सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के मुताबिक, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इस विधेयक में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल हुए हैं या उन्हें दी गई अवधि से ज्यादा समय तक रुक गए हैं। इन्हें जेल हो सकती है या स्वदेश लौटाया जा सकता है।
- नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों में बदलाव करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को अवैध प्रवासी वाले नियम से छूट दी है। यानी इस बिल के तहत् गैर मुस्लिम शरणार्थी यदि भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी पाए जाते हैं तो भी उन्हें जेल नहीं होगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नागरिकता अधिनियम में अनुच्छेद-6A के तहत् असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
2. नागरिकता संशोधन विधयेक 2019 के अंतर्गत केवल इन पाँच अवैध शरणार्थी समुदायों (हिन्दू, बौद्ध, पारसी,सिख, जैन) को नागरिकता प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. Special provision has been made for Assam under Article-6A in the Citizenship Act.
2. Under Citizenship Amendment Bill 2019, only these five illegal refugee communities (Hindu, Buddhist, Parsi, Sikh, Jain) will be granted citizenship.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Nither 1 Nor 2

नोट : 9 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत का संविधान लोगों की शक्ति पर आधारित है, किन्तु वर्तमान में लोग ही गौण होते दिखाई पड़ रहे हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

"The constitution of India is based on the power of the people, but at present people are turning out to be secondary." Do you agree with this statement? Discuss (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।